

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
जनपद-रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:

सेवायें-02/2620-22/स्था0/2022-23 दिनांक 10 जुलाई 2022

विषय:-

वार्षिक स्थानान्तरण 2022-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरण आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वार्षिक स्थानान्तरण 2022-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरण आदेश इस निवेदन के साथ महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है, कि संलग्न स्थानान्तरण आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(नागन्द्र बत्वाल)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रूद्रप्रयाग।

पृष्ठोंकन संख्या/सेवायें-2/2620-22/समिति गठन/2022-23/दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी महोदय, जनपद-रूद्रप्रयाग।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद-रूद्रप्रयाग।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रूद्रप्रयाग।

6/c

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/209

/वा0स्था0/2022-23 दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 एवं धारा-10 तथा शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या -124/XXX-2/22-30 (13) 2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्राथमिक (सहायक अध्यापक)

श्रेणी-सुगम से दुर्गम

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन तैनाती विद्यालय	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्रीमती पुष्पा गोस्वामी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भीरी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रा0प्रा0वि0 सिंगोली ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती वन्दना डिमरी कंसवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 रैंतोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रा0प्रा0वि0 खैड़ी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती नीता रावत	स0अ0	रा0प्रा0वि0पठाली, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	सुगम	रा0प्रा0वि0 ग्वाड नौडरू, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
04	श्रीमती सुधा विष्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0कालापहाड़, जखोली, रुद्रप्रयाग	सुगम	रा0प्रा0वि0 मुस्यागाँव, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति
05	श्रीमती अनिता सेमवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0डुंगर, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	सुगम	रा0प्रा0वि0फलीफसालत ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक को वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(Handwritten signature)

4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

शुभ
10-07-22

(नागेन्द्र बत्वाल)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

जनपद-रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पृष्ठोंकन संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/2535-44 वा0स्था0/2022-23

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
5. जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद- रुद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषाधिकारी जनपद-रुद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

शुभ
10-07-22

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

जनपद-रुद्रप्रयाग

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रूद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 2010

/वा0स्था0/2022-23 दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 एवं धारा-10 तथा शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या -124/XXX-2/22-30 (13) 2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- उच्च प्राथमिक (सहायक अध्यापक)

श्रेणी-सुगम से दुर्गम

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन तैनाती विद्यालय	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट	स0अ0 विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 पोला, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	सुगम	रा0उ0प्रा0वि0 भेलुन्ता जखोली, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

- समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक को वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

10-07-22
(नागेंद्र बर्वाल)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

जनपद-रूद्रप्रयाग।


दिनांक:उक्तवत।

पृष्ठोंकन संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/2545-54/वा0स्था0/2022-23

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अपर जिलाधिकारी, जनपद-रूद्रप्रयाग।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग।
- जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद- रूद्रप्रयाग।

6. वरिष्ठ कोषाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषाधिकारी जनपद-रुद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।


जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रुद्रप्रयाग

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रूद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/211

/वा0स्था0/2022-23 दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या -124/XXX-2/22-30 (13) 2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को "अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण" श्रेणी के अन्तर्गत निजी व्यय पर स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्राथमिक (सहायक अध्यापक)

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन तैनाती विद्यालय	स्थानान्तरण की श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री नारायण सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 बिजराकोट, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 हाट, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	गम्भीर रोगग्रस्त	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती अनिता गोस्वामी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 पन्द्रोला, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 नरकोटा, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	पति-पत्नी	रिक्त पद के प्रति
03	श्री मधुसूदन गौड़	स0अ0	रा0प्रा0वि0 चौरिया, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 कोरखी, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	दुर्गम में 10 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
04	श्री राजबीर सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 झोषीकिमाणा, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 ककोला, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	वर्तमान विद्यालय में 03 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
05	श्री विक्रम सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मखेत, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 कोटीसेम, जखोली, रूद्रप्रयाग	वर्तमान विद्यालय में 03 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
06	श्री देवी प्रसाद	स0अ0	रा0प्रा0वि0 पाटा, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 श्रीकोट, जखोली, रूद्रप्रयाग	वर्तमान विद्यालय में 03 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
07	श्री अनिल कुमार	स0अ0	रा0प्रा0वि0 चोपड़ा, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 पलोट, जखोली, रूद्रप्रयाग	वर्तमान विद्यालय में 03 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
08	श्री कुलदीपक सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कुरछोला, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 रहड़, जखोली, रूद्रप्रयाग	वर्तमान विद्यालय में 03 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
09	श्री रमेश	स0अ0	रा0प्रा0वि0 बक्सीर, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 धादड़, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	वर्तमान विद्यालय में 03 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
10	श्री दरवान सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 टेण्डवाल, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 डांडा पीपली, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	वर्तमान विद्यालय में 03 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति


वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक को वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


 (नागेंद्र बर्त्वाल)
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
 जनपद-रुद्रप्रयाग।
 दिनांक:उक्तवत।

पृष्ठोंकन संख्या: प्रा०शि०/सेवा-02 2555-64 वा०स्था०/2022-23
 प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
5. जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद- रुद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषाधिकारी जनपद-रुद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि०/रा०उ०प्रा०वि० रुद्रप्रयाग सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।


 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
 जनपद-रुद्रप्रयाग

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/2/12

/वा0स्था0/2022-23 दिनांक: 16 जुलाई 2022

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या -124/XXX-2/22-30 (13) 2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को "अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण" श्रेणी के अन्तर्गत निजी व्यय पर स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम-प्राथमिक (प्रधानाध्यापक)

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन तैनाती विद्यालय	स्थानान्तरण की श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री सुलेखा गुसाई	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 लौंगा, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 उत्त्यासू, जखोली, रुद्रप्रयाग	पति-पत्नी	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती माया कनवाल	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 भणंगा, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 घोलतीर, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	विधवा	रिक्त पद के प्रति
03	श्री नरेन्द्र सिंह	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 मचकण्डी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 घडियाल्का, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम में 10 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
04	श्रीमती मीनाक्षी गोस्वामी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 लमगौण्डी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 सकलाना, जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम में 10 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
05	श्री बीरपाल सिंह	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कुरछोला, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 घरड़ा, जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम में 10 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-


1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक को वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(नरिन्द्र बर्वाल)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रुद्रप्रयाग।

पृष्ठोंकन संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/2564-73/वा0स्था0/2022-23
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक: उक्तवत।

1. अपर जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
5. जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद-रुद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषाधिकारी जनपद-रुद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 रुद्रप्रयाग सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।


जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रुद्रप्रयाग

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रूद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/213

/वा0स्था0/2022-23 दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञप्ति/ स्थानान्तरण


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 एवं शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या -124/XXX-2/22-30 (13) 2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के कम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के कम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत जनपद-रूद्रप्रयाग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को "अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण" श्रेणी के अन्तर्गत निजी व्यय पर स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- उच्च प्राथमिक (सहायक अध्यापक)

क0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	नवीन तैनाती विद्यालय	स्थानान्तरण की श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री भूपेन्द्र लाल कुमोला	स0अ0 सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 भणंगा, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0प्रा0वि0 चाका सिलगढ़, जखोली, रूद्रप्रयाग	पति-पत्नी	रिक्त पद के प्रति
02	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	स0अ0 भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 उछोला, जखोली, रूद्रप्रयाग	रा0उ0प्रा0वि0 कफना, जखोली, रूद्रप्रयाग	दुर्गम में 10 वर्ष पूर्ण	रिक्त पद के प्रति
03	श्री धीरेन्द्र सिंह	स0अ0 सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 पोला, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	रा0उ0प्रा0वि0 विजयगढ़, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	सुगम से दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक को वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(नागेन्द्र बत्वाल)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रूद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पृष्ठॉकन संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/2574-83 /वा0स्था0/2022-23

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर जिलाधिकारी, जनपद-रूद्रप्रयाग।

2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग।
5. जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद- रूद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषाधिकारी जनपद-रूद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 रूद्रप्रयाग सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

18-07-22
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रूद्रप्रयाग

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 2014

/वा0स्था0/2022-23 दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञप्ति / अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 एवं धारा-10 तथा शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या -124/XXX-2/22-30 (13) 2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्राथमिक (सहायक अध्यापक)

श्रेणी-दुर्गम से सुगम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन तैनाती विद्यालय	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्री त्रिलोक सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 झुण्डोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 लोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
02	श्री वीरपाल सिंह कुँवर	स0अ0	रा0प्रा0वि0 खाली खमोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 भाणाधार, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती इन्दु चौधरी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मोला धिरोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 बीना, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
04	श्री मुहम्मद यासीन	स0अ0	रा0प्रा0वि0 डुँगर, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 चन्द्रापुरी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
05	श्री रविन्द्र सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भुनका अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 खुरड़, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
06	श्रीमती गीता पंवार	स0अ0	रा0प्रा0वि0 परकण्डी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
07	श्री अमित असवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 ब्यूंग, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 भैंसारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
08	श्री जगदीश कपूर	स0अ0	रा0प्रा0वि0 विजयगढ़, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 कमेड़ा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
09	श्रीमती संगीता काण्डपाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मरोड़ा, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 रायड़ी, जखोली, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
10	श्री मातबर सिंह नेगी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भटवाड़ी डुँगर, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 जगोट, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति

13 20

11	श्री संजय प्रसाद	स0अ0	रा0प्रा0वि0 शेरसी, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 डांगी गुनाऊँ, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
12	श्री कान्ता प्रसाद	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भुनका वल्ला, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 निरवाली, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
13	श्री रमेश प्रकाश	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भ्यूंता, जखोली, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 बन्दरतोली, जखोली, रूद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
14	श्रीमती नीलम कोटियाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 आरस्यूँ, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 मंजीराखाल, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक को वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

25/07-22
(नागेन्द्र बत्वाल)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रूद्रप्रयाग।
दिनांक:उक्तवत।

पृष्ठोंकन संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/2585-94/वा0स्था0/2022-23
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर जिलाधिकारी, जनपद-रूद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग।
5. जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद-रूद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषाधिकारी जनपद-रूद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 रूद्रप्रयाग सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

25/07-22
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रूद्रप्रयाग

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/215

/वा0स्था0/2022-23 दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञापित/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 एवं धारा-10 तथा शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या -124/XXX-2/22-30 (13) 2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- प्राथमिक (प्रधानाध्यापक)

श्रेणी-दुर्गम से सुगम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन तैनाती विद्यालय	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्री देवी प्रसाद काण्डपाल	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 क्वल्ली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 पंचभैयाखाल, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
02	श्रीमती रंजना गोंसाई	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अदूली, जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 पठालीधार, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
03	श्रीमती रंजना थपलियाल	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 बरसिर, जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 खरियाल, जखोली, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति
04	श्रीमती शकुन्तला पुजारी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 रविग्राम, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0प्रा0वि0 भेतसेम, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक को वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

10-07-22
(नागेन्द्र बर्वाल)


जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

जनपद-रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पृष्ठांकन संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/2695-2600/वा0स्था0/2022-23
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5. जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद- रुद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी / सम्बन्धित उप कोषाधिकारी जनपद-रुद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 / रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
9. सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।


जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रुद्रप्रयाग

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/216

/वा0स्था0/2022-23 दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 एवं धारा-10 तथा शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या -124/XXX-2/22-30 (13) 2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- उच्च प्राथमिक (प्रधानाध्यापक)

श्रेणी-दुर्गम से सुगम

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन तैनाती विद्यालय	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्री जसपाल लाल	प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 चौरा, जखोली, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0उ0प्रा0वि0 रुमसी अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक को वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

21-07-22
(नागेन्द्र बत्वाल)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रुद्रप्रयाग।

दिनांक:उक्तवत।

पृष्ठोंकन संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/2601-2609 /वा0स्था0/2022-23
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
5. जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद- रुद्रप्रयाग।

6. वरिष्ठ कोषाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषाधिकारी जनपद-रुद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 /रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
9. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

[Handwritten Signature]
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रुद्रप्रयाग

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/ 2017

/वा0स्था0/2022-23 दिनांक: 10 जुलाई 2022

विज्ञप्ति/अनिवार्य स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-07 एवं धारा-10 तथा शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30 (13) 2017 दिनांक 06-02-2018, शासनादेश संख्या -124/XXX-2/22-30 (13) 2017 दिनांक 08-04-2022 तथा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग के शासनादेश दिनांक 30-06-2022 के क्रम में गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

पदनाम- उच्च प्राथमिक (सहायक अध्यापक)

श्रेणी-दुर्गम से सुगम

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	वर्तमान विद्यालय	श्रेणी	नवीन तैनाती विद्यालय	श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्री प्रताप सिंह रावत	स0अ0 विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0गागरधार, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	दुर्गम	रा0क0उ0प्रा0वि0 रतूडा अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सुगम	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

- समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/उपशिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक को वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

10-07-22
(नागेन्द्र बत्वाल)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

जनपद-रुद्रप्रयाग।

दिनांक: उक्तवत।

पृष्ठोंकन संख्या: प्रा0शि0/सेवा-02/2610-2619/वा0स्था0/2022-23
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अपर जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद- रुद्रप्रयाग।

6. वरिष्ठ कोषाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषाधिकारी जनपद-रूद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षकों का माह जुलाई 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 /रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रूद्रप्रयाग सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
9. सम्बन्धित शिक्षक /शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

10-07-22
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
जनपद-रूद्रप्रयाग